भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये Rs.20

रु.20 TWENTY RUPEES

सत्यमेव जयते

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

JHARKHAND 05AA 922325

Book No. 86 Serial No. 2132 Date 31.07.23

(स्थाई बिक्रीनामा सह एकरारनामा)

(हमेशा के लिए)

(1) बिक्रेता का नाम वो पुरा पता:--

वर्षा देवी पति श्री अरुनन्दन कुमार सिंह उर्फ अरुनन्दन सिंह कायम राजपुत जाति समान्य (सी0एन0टी एक्ट 1908 के अन्तर्गत अच्छादीत नहीं है) साकीन मौजा निमियां पो0 दुल्ही थाना पाटन जिला पलामू पेशा गृहणी नागरिकता भरतीय। आधार नं0:-- 4957 4958 7812

(2) क्रेता का नाम वो पुरा पता:--

अवधेश नारायण सिंह पिता स्व0 राजेन्द्र सिंह जाति राजपुत जाति सामन्य (सी0एन0टी एक्ट 1908 के अन्तर्गत अच्छादीत नहीं है) साकीन मौजा निमियां पो0 दुल्ही थाना पाटन ,जिला पलामू ,पेशा खेती नागरिकता भरतीय। आधार नं0:-- 6465 0924 4655

(3) किस्म वसीका:--बिकीनामा सह एकरारनामा हमेशा के लिए।

(4) **<u>बिक्री मूल्य</u>:**–मो0 5,00000 / (पांच लाख) रू0 मात्र।

(5) **<u>सम्पतिः</u>**– मवाजी 2.5 डी0 (दो दशमलव पाच) डी0 जमीन दर्जा टाड आवासीय मकान निर्माण लायक, वाके मौजा निमिया थाना शहर मेदनीनगर जिला पलामू इलाके रजिस्ट्री ऑफिस वो जिला सब रजिस्ट्री मोकाम मेदिनीनगर ,जिला पलामू। । हकियत रैयती खरीदगी से हक हासिल है उसी का पाठ होल्डिंग सम्पति को बिकी करते है तथा बिकीनामा सह एकरारनामा केता के नाम से हमेशा के लिए लिखते है।

जमीन का विवरण

तौजी नं0	खेवट नं0	वार्ड नं0	थाना नं0	मौजा	जमाबन्दी नं0
51	01	03	192	निमिया	भाग प्राप्त

खाता नं0	प्लौट नं0	रकवा	चौहद्दी
44 (चौवालीस)	232 / 330 (दो सौ बत्तीस बटा तीन सौ तीस	2.5 डी0 (दो दशमलव पाच) डी0	उ0 अनील कुमार महतो द0 मौजा विक्रेता पु0 अनुरूद्ध गुप्ता प0– पुव से 12 फीट का रास्ता
01 –	01 –	2.5 डी0 (दो दशमलव पाच) डी0	

जमीन का बिक्रीनामा सह एकरारनामा बिक्रेता , केता के नाम से हमेशा के लिए लिखते है।

सलाना मालगुजारी – मो0 1रू / – (एक रू0) अलावे शेष ।

नाम मालिकः– झारखण्ड सरकार अंचल मोकाम मेदिनीनगर जिला पलामू।

विदित हो कि मुन्दर्जे खाना पॉच की जमीन बिक्रेता को हकियत रैयती खरीदगी बजरीए केवाला बनाम पारवती दवी पति राजेन्द्र प्रसाद गुप्ता निवास स्थान शान्तिपुरी सुदना थाना मेदिनिनगर जिला पलामू से दिनांक 30.08.2013 ई0 को खरीद किए थे जीसका बुक न0 01 भोलुम

न0 256 पेज न0 313 से 336 केवाला न0 7804 ई0 दर्ज है तथा विक्रेता जो जमीन खरीद किए थे उसका डिमांड अभी नही खुल रहा है तथा विक्रेता को खरीदगी तिथि से विक्री की सम्पति पर आज तक विक्रेता को शान्तिपूर्वक कबजा दखल मे चला आ रहा है। बिकी की सम्पति पर बिक्रेता के अलावे किसी भी अन्य व्यक्ति का हक हिस्सा अथवा दखल कब्जा नहीं है और न ही विक्री कि सम्पति पर किसी भी प्रकार का ऋणभार है और ना ही इसमें किसी प्रकार का विवाद है। सक्षेप में यह सम्पति हकियत के सभी दोषो तथा ऋणभार से पूर्णत. मुक्त है।

इस समय बिक्रेता को रूपये का सख्त जरूरत वास्ते खरीदने जमीन एव अन्य जरूरी कामों के है जो बिना जमीन बिकी किऐ रूपये का इंतेजाम खास बिक्रेता के पास से नहीं हो सकती है। इसलिए बिक्रेता ने जमीन बिकी का एलान कई लोगो से किये लेकिन कोइ भी व्यक्ति खाना संख्या चार में दर्ज जर्रेसमन देने के लिए तैयार नही हुए अंत मे केता वसीका हाजा ने अपने आवास निर्माण के लिए उचित स्थान देखकर उक्त सम्पति को मो0 5,00000/—पांच लाख रूपये में खरीद करने के लिए तैयार हुए. जो आज के बाजार भाव से उचित है एव बिक्रेता को सौदा पसंद आया।

इसलिए बिक्रेता अपने होश हवास मे रहकर वो अपने दिल वो दिमाग के बदूरूस्तगी में रहकर तथा अपने कुल नफा नुकसान को अच्छी तरह सोच समझकर वो बसलाह अपने घर के सभी परिवारों से सलाह मशविरा लेकर खाना संख्या पॉच की सम्पति को मो0 5,00000/— पांच लाख रूपये में केता के साथ जमीन बिकी किये वो बिकीनामा सह एकरारनामा हमेशा के लिए केता के नाम लिख दिये तथा रूपये जर्रेसमन का एक दफा नग्द कबल एकरारनामा लिखने से पहले बिक्रेता केता से वसुल पा चुके है तथा रूपये वसुल पाकर उक्त जमीन पर केता को आज ही की रोज से दखल कब्जा दे दिये है। अब जर्रेसमन का एक नया पैसा बिक्रेता को केता के पास में बकाया नही रहा।

चाहिए कि क्रेता उस जमीन पर कायम वो काबिज दाखिल होकर जमीन का हाताबंदी करे मकान का निर्माण करे उसमे खुद रहे या

Kavita Devi
पर्दा पूर्व वा0 राजीव रंजन सिंह
31/07/2023

लक्ष्मण मुर्मू/पिता अवध मुर्मू द्वारा हस्ताक्षरित
पी+थाना- पटना जिला पलामू वा0
राजीव रंजन सिंह 31/07/2023

31.7.23

किराये पर लगावे या वख्त जरूरत किसी अन्य व्यक्ति के साथ बिक्री करे इसमे बिक्रेता मय वारिशान को कोई उज्र एतराज नहीं है और न आईन्दा होगा। याने क्रेता जिस तरह से चाहे इस जमीन को अपने सुविधा के अनुसार मनचाहा मसरफ मे दर लावें वो नाम अपना अंचल कार्यालय मे दर्ज कराकर माल वो शेष अदा कर मालगुजारी रसीद हासिल किया करेंगें वो नगरपालीका मे नाम दर्ज कराकर अपने नाम से नगरपालीका रसीद प्राप्त किया करेगें याने जिस तरह का हक हकुक खाना संख्या पॉच की सम्पति पर बिक्रेता तथा वारीसान बिक्रेता को हक हासिल था वह सब कुछ हकुक आज के रोज से क्रेता को हासिल हुआ खाना संख्या पॉच की सम्पति के हर तरह के हक हकुक से बिक्रेता तथा वारीसान बिक्रेता हमेशा के लिए बाज आए दर गुजरे।

यह कि विक्रेता यह एकरार करते है कि दर्ज सम्पति गैरमंजरूआ खाते की है जो विक्री पर सरकार द्वारा रोक लगा हुआ है वो अगर भविष्य मे सरकार द्वारा रजिस्ट्री शुरू हो जाएगी तो विक्रेता मय वारीशान अपने पूर्व केवाला को दाखिल खारीज कराकर एवं एल0पी0सी0 मालगुजारी रसीद प्राप्त कर दर्ज सम्पति को क्रेता मय वारीशान के नाम से रजिस्ट्री कर देगे उस समय विक्रेता मय वारीशान अलग से जरेंसमन की मांग नहीं करेगे वो अगर करते है तो सरासर गलत वो नजायज समझा जाएगा ऐसी सतिथी मे क्रेता को यह अधिकार होगा की उचित कानुन का सहारा लेकर विक्रेता मय वारीशान के नाम से रजिस्ट्री करा लेगें तथा विक्रेता यह एकरार करते है कि विक्री सम्पति के सम्बध मे किसी व्यक्ति के साथ लिखित एकरारनामा ब्य बैयाना का तामीर नही किए है जो की हकियत पर कोई ऑच आए।

ईसलिए बिक्रेता यह बिक्रीनामा सह एकरारनामा क्रेता मय वारिशन के हक मे चन्द गवाहन के सामने हमेशा के लिए लिखा वो मजमुन पढकर वो पढ़वाकर सुन समझ लिया तथा लिखा हुआ सही पाकर वसिका मे अपना हस्ताक्षर व ठेपा किये है वो अपना छाया चित्र लगाए है कि समय पर काम आय व सनद रहे।

Varsha Devi

31/07/2023

ELFARE FUND
HARKHAND

शपथ–पत्र (AFFIDAVIT)

31.7.023

31/07/2023

NOTARY
Medininagar, Palamu